

532

माननीय न्यायालय राजस्व मण्डल, मध्य प्रदेश ग्वालियर

प्रकरण क्रमांक: /2014 निगरानी माल R-2805-5/14

1. वकील सिंह पुत्र श्रीराम सिंह, आयु 43 साल, व्यवसाय-खेती, निवासी टीकरी कला परगना मेहगॉव, जिला भिण्ड ..... निगरानीकर्ता

बनाम

1. शोभाराम पुत्र छबिराम जाति मेहतर, आयु 50 साल,, व्यवसाय-खेती  
2. रामकली वेवा पुन्तू जाति मेहतर, आयु 60 साल, व्यवसाय- गृहकार्य, समस्त निवासीगण - टीकरी कला परगना मेहगॉव, जिला भिण्ड ...  
..... नोन-निगरानीकर्तागण

निगरानी विरुद्ध नायव तेहसीलदार अमायन (मेहगॉव) के प्रकरण क्रमांक 1/2013-14/ अ-70 में पारित आदेश दिनांक 2.7.2014 से दुखित होकर धारा 50 मध्य प्रदेश भू-राजस्व संहिता 1959 के तहत

माननीय न्यायालय,

सेवा में निगरानी कर्ता की निगरानी निम्न तथ्यों व आधारों पर प्रस्तुत है :-

निगरानी के तथ्य :-


1. यह कि, अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष नोन-निगरानीकर्ता ने एक आवेदन पत्र सीमांकन बाबत दिनांक 26.5.2014 को प्रस्तुत किया गया। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा सीमांकन आवेदन के आधार पर सीमांकन आदेश दिया गया प्रकरण में पेशी दिनांक

## राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश - ग्वालियर

## अनुवृत्ति आदेश पृष्ठ

प्रकरण क्रमांक - निगरानी-2805-एक/14

जिला - भिण्ड

स्थान एवं दिनांक	कार्यवाही तथा आदेश	पक्षकारों एवं अभिभाषकों आदि के हस्ताक्षर
19-12-18	<p>आवेदक की ओर से, अधिवक्ता श्री एम.पी. भटनागर उपस्थित। आवेदक की ओर से यह निगरानी नायब तहसीलदार के आदेश के विरुद्ध प्रस्तुत की गई है। म.प्र. भू-राजस्व संहिता में दिनांक 25.09.2018 को हुए संशोधन के फलस्वरूप अब नवीन संशोधित संहिता की धारा 50 सहपठित संहिता की धारा 54(ए) के अंतर्गत नायब तहसीलदार द्वारा पारित आदेश के विरुद्ध सुनवाई कलेक्टर द्वारा की जाना है। अतः यह प्रकरण सुनवाई हेतु कलेक्टर को भेजा जाता है। उभयपक्ष प्रकरण में सुनवाई हेतु दिनांक 24.4.19 को कलेक्टर, जिला भिण्ड के समक्ष उपस्थित हों।</p> <p style="text-align: right;">   <b>प्रशासकीय सदस्य</b> </p>	